

पत्रांक संख्या-८४/२०२१ टेंडर सूचना/नजारत/जनपद न्यायालय चन्दौली। दिनांक: १.३.२०२१

टेंडर

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश चन्दौली के आदेश दिनांक 13.01.2021 के अनुपालन में बन्द लिफाका के माध्यम से दिनांक 03.02.2021 को कार्यालय अवधि तक टेंडर आमंत्रित किया जाता है। टेंडर दिनांक 05.02.2021 को सांय 4.30 बजे अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय कक्ष में उपस्थित अधराइज़ड फर्म/प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित क्रय समिति के द्वारा खोला जायेगा। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में टेंडर उत्ती क्रम में एवं समयानुसार अगले कार्य दिवस में खोला जायेगा। टेंडर कुल धनराशि रु. 12,000/- के लिए आमंत्रित किये जाते हैं।

सामग्री की सूची।

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	प्रति पीस का दर ची.एस.टी. सहित
1.	एल.ई.डी.ट्यूबलाईट	
2.	एल.ई.डी. बल्ब	
3.	पावर बोर्ड	
4.	तार	

नियम व शर्तेः-

- टेंडर की कुल धनराशि का 10% घरोहर धनराशि के रूप में नकद केन्द्रीय नजारत अनुभाग में जमा करना पड़ेगा। फर्म/प्रतिनिधि का टेंडर पास न होने की दशा में घरोहर राशि बापत कर दी जायेगी।
- किसी भी फर्म/प्रतिनिधि का टेंडर पास होने के उपरांत सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने पर किसी भी कार्याधी के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- उपरोक्त सभी सामग्री अच्छी गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप होना आवश्यक है।
- अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्ण सूचना के टेंडर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं किया जा सकता।
- टेंडर में उल्लिखित सामग्रियों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
- टेंडर जमा करते समय उपरोक्त सभी सामग्री का सेम्पल लाना अनिवार्य होगा।

*(Anil) ८०१००१००१
13/1/21*
(अमित कुमार यादव-II)

*8000/-
3/01/2021*
(योगेश दुबे)

*Abdul
13.01.2021*
(अरविन्द कुमार यादव)

*A. Daudar
13.1.2021*
(अम्बर रावत)

ए.डी.जे./एफ.टी.सी.-II अपर जनपद न्यायाधीश-II विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.)

चन्दौली/सदस्य

चन्दौली/सदस्य

चन्दौली/सदस्य

चन्दौली/अध्यक्ष

क्रय समिति।

क्रय समिति।

क्रय समिति।

क्रय समिति।